



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17032021-225949
CG-MH-E-17032021-225949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 99]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेवी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/09.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में,-
 - I. विनियम 7 के उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (iii) खंड (iv) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से प्रतिभूति बाजार (अनुसंधान विश्लेषण) [सिक्यूरिटीज़ मार्केट (रिसर्च एनालिसिस)] में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा करके हासिल की गई व्यावसायिक योग्यता (वृत्तिक अर्हता); या”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./535/2020-21]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/07/1414 द्वारा, 1 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 तत्पश्चात्,-
 - क. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
 - ख. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (RESEARCH ANALYSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, namely, -

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014,-
 - I. in sub-regulation (1) of regulation 7,
 - i. clause (iii) shall be renumbered as (iv) and before the clause so renumbered, the following clause shall be inserted, namely, -

“(iii) a professional qualification by completing a Post Graduate Program in the Securities Market (Research Analysis) from NISM of a duration not less than one year; or”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./535/2020-21]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, were published in the Gazette of India on September 01, 2014 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2014-15/07/1414.
2. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 were subsequently amended on, –
 - a. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
 - b. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.